

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018


जयपुर, दिनांक : 28.09.2018

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.09.2018 के द्वारा डा. घनश्याम मीणा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कैथून, कोटा का स्थानान्तरण/पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चौहटन, बाडमेर के रिक्त पद पर किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. मीणा का पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिंधरी, बाडमेर के पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।


डा. मीणा का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोकहित में किये जाने के कारण इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा/जोधपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/बाडमेर
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव